<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय</u>

<u>नैनीताल</u>

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी

एवं

माननीय श्री न्यायाधीश राकेश थपलियाल

<u>रिट याचिका (पी. आई. एल.) सं. 176 सन 2023</u>

<u>07 नवंबर, 2023</u>

तरुण शर्मा ..... याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी ।

याचिकाकर्ता के ओर से वकील : श्री बी. डी. उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अनिल के. जोशी, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के लिए वकील : श्री सी.एस. रावत, विद्वान मुख्य स्थायी वकील, श्री गजेन्द्र त्रिपाठी, विद्वान स्थायी वकील की सहायता से। प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए वकील : डॉ. अमन रब और श्री शिव पांडे, विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी सं. 5 के लिए वकील : श्री आदित्य प्रताप सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

न्यायालय ने यह निर्णय दिया :

<u>निर्णय :</u> (माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी के अनुसार)

जनहित में दायर इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने निदेशक, भूविज्ञान और खनन इकाई, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक

26.09.2023 ई-नीलामी नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उत्तराखंड राज्य के चार जिलों में खनन स्थल के आवंटन के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं।

2. याचिकाकर्ता ने उक्त ई-नीलामी नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी है कि केंद्र सरकार से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना खनन स्थल आवंटित नहीं किए जा सकते हैं। इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 पर भरोसा किया है।

3. हालाँकि, विद्वान राज्य वकील ने हमारा ध्यान एक अन्य अधिसूचना दिनांक 28.03.2020 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें पहले की अधिसूचना में संशोधन किया गया था।दिनांक 28.03.2020 की अधिसूचना का प्रासंगिक उद्धरण तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"उक्त अधिसूचना में कहा गया हैः

(i) अनुच्छेद 11 में, उप-अनुच्छेद (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप-धारा (5) और (6) के प्रावधानों के तहत समाप्त होने वाले और उस अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नीलामी के माध्यम द्वारा चुने गए खनन पट्टों के सफल बोलीदाता को यह माना जाएगा कि उसने नए पट्टे की शुरुआत की तिथि से दो साल की अवधि के लिए पिछले पट्टेदार के पास निहित वैध पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली है और नए पट्टेदार के लिए नए पट्टे की शुरुआत की तिथि से दो साल की

अवधि के लिए उक्त पट्टा क्षेत्र पर पिछले पट्टेदार को दी गई पर्यावरण मंजूरी के समान नियमों और शर्तों के अनुसार खनन संचालन जारी रखना वैध होगा।

बशर्ते कि सफल बोलीदाता नए पट्टे के अनुदान की तिथि से दो साल की अवधि के भीतर नियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करेगा और प्राप्त करेगा।"

4. अधिसूचना दिनांक 28.03.2020 में निहित प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि सफल बोलीदाता नए पट्टे के अनुदान की तिथि से दो साल के भीतर नियामक प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा बोली प्रक्रिया को इस आधार पर दी गई चुनौती कि नियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी, निरर्थक है।

5. विद्वान राज्य वकील ने उत्तराखंड लघु खनिज (रियायत) नियम, 2023 के नियम 8 (बी) पर भी भरोसा किया है, जो इस प्रकार हैः

"खनन पट्टे के स्वीकृतिः-

(क)

(ख) खनन पट्टे हेतु निर्गत आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों तथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्त हो जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेबा।"

6. उत्तराखंड लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 2023 के नियम 8 (बी) में यह भी प्रावधान है कि `खनन पट्टा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में तभी निष्पादित किया जाएगा जब आशय पत्र में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी और पर्यावरणीय सहित आवश्यक अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाएगी।' इसलिए, हम विद्वान राज्य वकील द्वारा उठाए गए

विवाद में तथ्य पाते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका कि सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना खनन कार्य शुरू हो जाएगा, निराधार है।

7. निदेशक, खनन ने केवल एक पूर्व-नीलामी नोटिस जारी किया है, जिसके तहत इच्छुक व्यक्तियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सफल बोलीदाता द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए, इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा बोली प्रक्रिया को चुनौती देना समय से पहले है। इस प्रकार, हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए जनहित में दायर इस रिट याचिका को बंद कर दिया जाता है।

8. हालाँकि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तरदाताओं को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संबंधित लॉट से किसी भी खनन कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि प्रश्नगत लॉट से कोई अवैध खनन नहीं किया गया है।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.)

(राकेश थपलियाल, जे.)

दिनांक: 07 नवंबर, 2023

निशांत